

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-09/2024

दिनांक 08/10/2024

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्या: वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720, दिनांक: जून 04, 2020 व पत्र संख्या: 41/6-पु-3/2020, दिनांक: 04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 07.10.2024 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना नोनहरा पुलिस टीम द्वारा चोरी का सफल अनावरण करते हुए 03 नफर अभियुक्तों को 01 अदद ई-रिक्शा चार्जर व 02 अदद बैटरी के साथ किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 07.10.2024 को थानाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र कुमार सोनकर थाना नोनहरा मय हमराह द्वारा मुखविर की सूचना पर मु0अ0स0 156/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर का सफल अनावरण करते हुए नोनहरा पुलिस टीम द्वारा चोरी के एक ई-रिक्शा चार्जर, 02 अदद बैटरी सहित 03 अभियुक्तों को हरदिया भट्टा थाना नोनहरा गाजीपुर के पास से समय सुबह करीब 06.00 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों के विरुद्ध अप्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

- 1 पीयूष कनौजिया पुत्र रविन्द्र कनौजिया ग्राम नोनहरा थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र 19 वर्ष
2. रोशन राजभर पुत्र धर्मचन्द राजभर नि0 ग्राम प्यारेपुर थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र 18 वर्ष
3. देवेन्द्र राजभर पुत्र रामदरश राजभर नि0 ग्राम प्यारेपुर थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र 24 वर्ष

बरामदगी-

एक अदद ई-रिक्शा का चार्जर, 02 अदद

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास-

- 01.** पीयूष कनौजिया पुत्र रविन्द्र कनौजिया ग्राम नोनहरा थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र 19 वर्ष
1. मु0अ0सं0 156/2024 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना नोनहरा गाजीपुर
- 02.** रोशन राजभर पुत्र धर्मचन्द राजभर नि0 ग्राम प्यारेपुर थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र 18 वर्ष
1. मु0अ0सं0 156/2024 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना नोनहरा गाजीपुर
- 03.** देवेन्द्र राजभर पुत्र रामदरश राजभर नि0 ग्राम प्यारेपुर थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र 24 वर्ष
1. मु0अ0सं0 156/2024 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना नोनहरा गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 231/2020 धारा 323/504/452 भादवि थाना नोनहरा गाजीपुर

02.थाना मरदह पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 187/2024 धारा 137(2),87,65(1) बी0एन0एस0 व 5L/6

पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 07.10.2024 को उ0नि0 श्री अवधेश राय मय हमराह मुखविर सूचना पर पीड़िता/अपहृता व अभियुक्त दोनो लोग महाहर धाम मन्दिर पर चबूतरे पर कहीं से आकर बैठे हुये है जिसकी सूचना पर महाहर धाम मन्दिर पहुँचकर पीड़िता/अपहृता थाना मरदह जनपद गाजीपुर उम्र 14 वर्ष तथा बाल अपचारी थाना मरदह जनपद गाजीपुर उम्र 15 वर्ष को जिसमें पीड़िता /अपहृता को महिला आरक्षी के सुरक्षार्थ निगरानी में किया गया एवं बाल अपचारी उपरोक्त को नियमानुसार हिरासत पुलिस में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं ।

गिरफ्तार बालअपचारी -

01 नफर बाल अपचारी थाना मरदह जनपद गाजीपुर ।

आपराधिक इतिहास:-

1 .मु0अ0स0 187/2024 धारा 137(2),87,65(1) बी0एन0एस0 व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना मरदह जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर